# अनुदान संख्या 69 - पंचायती राज मंत्रालय
# GRANT No. 69 – MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving - |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| **राजस्वः** | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत - | Voted- | | | | |
| मूल | Original | 5170,71,00 | 6690,71,00 | 6689,48,16 | -1,22,84 |
| पूरक | Supplementary | 1520,00,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 1,07,52 |

***टीका और टिप्पणियां***

1. अनुदान में, दो मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹1289.73 लाख की बचतें एक मुख्य शीर्ष के अंतर्गत ₹1166.89 लाख के अधिक व्यय की तुलना में हुई जिसके परिणामस्वरूप कुल ₹122.84 लाख की बचतें हुईं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

***Notes and comments***

1. In the grant, savings of ₹1289.73 lakhs occurred under two major heads against excess of ₹1166.89 lakhs under one major head resulting in overall savings of ₹122.84 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2515" | Major Head "2515" | | | | |
| अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम | Other Rural Development Programme | | | | |
| मू. | O. | 9300.00 | | | |
| पू. | S. | 2000.00 | 12471.15 | 12466.89 | -4.26 |
| पु. | R. | 1171.15 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" | Major Head "2552" | | | | |
| उत्तर पूर्वी क्षेत्र | North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 1200.00 | .. | .. | .. |
| पु. | R. | -1200.00 | | | |

(I) ₹1200.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹940.00 लाख मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - पंचायती राज" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना" - ₹700.00 लाख ; और

(खा) "ई-पंचायत संबंधी मिशन परियोजना" - ₹240.00 लाख।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2515" - "पंचायती राज" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) "पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान" - ₹174.23 लाख की बचत (₹270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(खा) "कार्रवाई अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन" - ₹130.00 लाख की बचत (₹270.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर-सरकारी संगठनों से व्यवहार्य प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹93.83 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 52 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "2515" - "पंचायती राज" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(का) "राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना" - ₹969.39 लाख का अधिक व्यय (मार्च, 2011 में प्राप्त ₹2000.00 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹6300.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों

(I) Provision of ₹1200.00 lakhs remained wholly unutilized under seven heads; of these ₹940.00 lakhs accounted for under major head "2552"- "Other Rural Development Programmes-Panchayati Raj"- under the following heads:-

(A) "Rastriya Gram Swaraj Yojana" - ₹700.00 lakhs; and

(B) "Mission Project on e-Panchayat"- ₹240.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilized due to re-appropriation of funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under Major Head "2515" – "Panchayati Raj" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Panchayat Mahila Evam Yuva Shakti Abhiyan" – saving of ₹174.23 lakhs (against the sanctioned provision of ₹270.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals from the State Governments.

(B) "Action Research and Research Studies"- saving of ₹130.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹ 270.00 lakhs) was due to receipt of less viable proposals from the Non Governmental Organisations.

(III) Under one head saving of ₹93.83 lakhs occurred constituting 52 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were offset by excess under Major Head "2515"- "Panchayati Raj"- under the following heads:-

(A) "Rashtriya Gram Swaraj Yojana" – excess of ₹969.39 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹6300.00 lakhs including supplementary grant of ₹2000.00 lakhs obtained in March, 2011) was due to re-appropriation of funds from major Head "2552" to functional heads

पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(खा) ''जनसंचार-माध्यम और प्रचार'' - ₹531.76 लाख का अधिक व्यय (₹720.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रामीण भारत कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध देयताएं चुकाए जाने के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने और पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹100.00 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत था।

for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(B) "Media and Publicity" – excess of ₹531.76 lakhs (against the sanctioned provision of ₹720.00 lakhs) was due to requirement of additional funds to clear committed liabilities for telecasting Grameen Bharat Programme and re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Under one head excess of ₹100.00 lakhs occurred constituting 11 percent of the sanctioned provision.